

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 17, 2013/आश्विन 25, 1935

No. 2741

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2013/ASVINA 25, 1935

वित्त मंत्रालय

अधिस्चना

नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2013

सं. एनएचबी.एचआरडी.पेन.01/सीएमडी/2013.—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 की 53) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन और केंद्रीय सरकार के परामर्श से, एतद्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 2003 में संशोधन करने के अतिरिक्त निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करता है, यथा:-

- 1. (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 कहा जा सकता है।
 - (2) इन्हें 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी माना जाएगा।
- 2. राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 2003 के विनियम 3 के उप-विनियम (3) हेतु, निम्निलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
 - "(3) अधिसूचित तारीख को अथवा उसके बाद, परंतु दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से पहले बैंक की सेवाओं में नौकरी शुरू करना"

आर.वी. वर्मा,

आर.वी. वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन III/4/असाधारण/157/13]

टिप्पणी:- राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 20 मई, 2003 को प्रकाशित हुए थे, जोकि अभी तक संशोधित नहीं किये गए हैं।

MINISTRY OF FINANCE NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2013

No. NHB.HRD.PEN.01/CMD/2013.— In exercise of the powers conferred by Section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the National Housing Bank (Employees') Pension Regulations, 2003, namely:—

- 1. (1) These regulations may be called the National Housing Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on April 1, 2010.
- 2. For sub-regulation (3), of Regulation 3 of the National Housing Bank (Employees') Pension Regulations, 2003, the following shall be substituted, namely:-
 - "(3) join the services of the Bank on or after the notified date but before April 01, 2010"

R. V. VERMA, Chairman and Managing Director

[ADVT. III/4/Exty./157/13]

Note: The National Housing Bank (Employees') Pension Regulations, 2003 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated May 20, 2003, which has not been amended so far.